[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 19/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 06 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "फास्फोरेस पेंटाऑक्साइड" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2809 10 00 अंतर्गत आती है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/47/2016-डीजीएडी, दिनांक 05 मार्च, 2018, जिसे दिनांक 05 मार्च, 2018 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचते है कि-

- **(i)** प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देशों से समान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण इसकी यहां भरमार हो गई ।
- **(ii)** विषयगत देशों से आयातित इस प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा अवतरण मूल्य और कॉलम (8) में निर्दिष्ट राशि में अंतर के बराबर की दर से निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि अमे.डॉ. में	यूओएम (माप इकाई)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	2809 10 00	फास्फोरेस पेंटाऑक्साइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	चांगझाओ सिटी किशूयान फाइन कैमिकल कं. लि. (क्यूशूयान)	चांगझाओ सिटी किशूयान फाइन कैमिकल कं. लि. (क्यूशूयान)	1685.42	मैट्रिक टन
2	2809 10 00	फास्फोरेस पेंटाऑक्साइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	एंगहुई लांगहुआ कैमिकल इं. कं. लि. (इसके पहले जिसे मैसर्स चिझाऊ लांगहुआ फार्माकिम कं. लि.)	एंगहुई लांगहुआ कैमिकल इं. कं. लि. (इसके पहले जिसे मैसर्स चिझाऊ लांगहुआ फार्माकिम कं. लि.)	1685.42	मैट्रिक टन
3	2809 10 00	फास्फोरेस पेंटाऑक्साइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपर्युक्त (1) और (2) से भिन्न अन्य कोई		1685.42	मैट्रिक टन
4	2809 10 00	फास्फोरेस पेंटाऑक्साइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	चीन	1685.42	मैट्रिक टन
5	2809 10 00	फास्फोरेस पेंटाऑक्साइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	चीन	कोई भी	1685.42	मैट्रिक टन

2. लगाया गया या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, -

(i) इन आयातों का अवतरण मूल्य वह आंकलन मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया हो और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क में दिए गए शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क आते हैं ।

(ii) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय–

समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/87/2018 – टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार